न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मोहम्मद शोकत बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 291/2025
निर्णय दिनांक 04/08/2025

मोहम्मद शोकत पुत्र कादर खान जाति कायमखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू हाल निवासी वार्ड नं. 03 पिथीसरियों के कुँए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 494 तादादी 11.0012 हैक्ट., ख.नं. 495 तादादी 6.4869 हैक्ट. ख.नं. 550 तादादी 2.4278 हैक्ट., ख.नं. 737/549 तादादी 0.7461 हैक्ट., ख.नं. 78 तादादी 9.0412 हैक्ट कुल तादादी 29.7032 हैक्ट. कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मो. शोकतखां पुत्र कादरखां अंकित है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मोहम्मद शोकत पुत्र कादर खान है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैनकार्ड, आदि में नाम मोहम्मद शोकत पुत्र कादर खान अंकित है जो सही नाम है। प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को बैंक केसीसी कार्ड बनवाने व राज्य व भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। जिससे प्रार्थी को परेशानी हो रही है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है कि अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम मोहम्मद शोकत पुत्र कादर खान एव हाल निवासी वार्ड नं. 03 पिथिसरियों के कुँए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू पते में जुड़वाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम मो. शोकतखां पुत्र कादरखां व मोहम्मद शोकत पुत्र कादर खान दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है तथा उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम मोहम्मद शोकत पुत्र कादर खान जाति कयामखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर हाल वार्ड नं. 03 पिथिसरियों के कुँए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैनकार्ड, व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम मोहम्मद शोकत पुत्र कादर खान जाति कायमखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर हाल वार्ड नं. 03 पिथिसरियों के कुँए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मो. शोकतखां पुत्र कादरखां जाति कायमखानी निवासी राजपुरा अंकित है। नाम व पते में भिन्नता से

Rajendra